<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू</u>

	पीठासीन अधिकारी	:	स्वाति आर.टी.एस
	मिसल नं.–		60 / 2022
सरकार	बनाम		रामविलास पुत्र रामप्रताप, जाति ब्राहमण, निवासी भावठडी

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 28.12.2022

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामविलास पुत्र रामप्रताप, जाति ब्राहमण, निवासी भावठडी द्वारा रोही मौजा फतेहपुरा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 197 के कुल रकबा 0.50 है. किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.01 है. भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया । गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 05 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे।। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे।मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नि०वर्ष-22-23 के रा०ले०4 के पृ० नं० 24 पर राशि 05/- की कायम की गई।
IAA
03/1/23

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़